रजिस्ट्री सं. डी. एल. 33991/97 Regd. No. D.L. 33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 1998/फाल्गुन 23, 1919
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 1998/PHALGUNA 23, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतगत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the General Authorities (other than the Administration of Union Territories)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1998

सा० का० नि०. 57.—अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 17 के उप-नियम (i) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियमावली, 1960 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है.—

1. (1) इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) ..... संशोधन विनियमावली, 1998 है ।

(2) ये विनियम, राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियमावली, 1960 के विनियम 3 मे उप-विनियम (4), खण्ड (I) में "साधारणतया" शब्द विलोपित किया जाएगा ।

[संख्या 11020/14/97-अ०भा०से० (III)]
ए० के० सरकार, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी :— प्रधान विनियम, भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा०का०नि० स० 666 में दिनांक 10-6-60 की अधिसूचना स०-8/1/56-अ०भा०से०-3 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदनंतर निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

573 GI/98—1

क्र०सं०	अधिसूचना सं०	तारीख	सा० का नं० सं०	तारीख
1	2	3	4	5
(1)	16/2/61-अ०भा०से०III	16-7-62	965	21-7-62
(2)	13/2/64-अ०भा०से०III	7-12-64	1747	12-12-64
(3)	14/8/66-अ०भा०से०III	4-10-67	1595	28-10-67
(4)	14/6/69-अ०भा०से०III	16-7-61	1746	26-7-69
(5)	14/13/68-अ०भा०से०III	9-11-71	1857	11-12-71
(6)	12/4/71-अ०भा०से०III	11-1-72	840	25-1-72
(7)	1/3/72-अ०भा०से०III	16-5-72	666	10-6-72
(8)	3/1/72-अ०भा०से०III	14-12-72	1617	30-12-72
(9)	11020/3/75-अ०भा०से०III	15-11-75	2779	13-12-75
(10)	3/3/74-अ०भा०से०III	28-10-75	2691	22-11-75
(11)	11020/2/77-अ०भा०से०III	1-10-77	1393	22-10-77
(12)	11020/24/79-अ०भा०से०III	4-10-80	1673	18-10-80
(13)	11020/4/81-अ०भा०से०III	21-12-81	6	2-1-82
(14)	11020/18/83-अ०भा०से०III	25-11-83	930	10-12-83
(15)	11020/27/83-अ०भा०से०III	25-10-85	1040	9-11-85
(16)	11020/21/84-अ०भा०से०III	23-6-86	496	5-7-86
(17)	11020/10/84-अ०भा०से०III	23-7-86	584	9-8-86
(18)	11017/38/87-अ०भा०से०III	6-6-89	658(ई)	30-6-89
(19)	11020/9/91-अ०भा०से०III	6-2-92	70	22-2-92

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 23rd February, 1998

G. S. R. 57.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (i) of rule 17 of the All India Services (Leave) Rules, 1955, the Central Government, in consultation with the Governments of the Sates concerned, hereby makes the following regulations further to amend the All India Services (Study Leave) Regulations. 1960 namely :—

1. (1) These regulations may be called the All India Service (study Leave) Amendment Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the dae of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 3 of the All India Services (Study Leave) Regulations 1960, in sub regulation (4) in clause (i) the word 'ordinarily' shall be omitted.

[No. 11020/14/97-AIS(III)]
A. K. SARKAR, Director (Services)

Note : Principal Regulations were published vide Notification No. 8/1/56-AIS.III, dtd. 10-6-60, GSR No. 666 Gazetted of India dtd. 18th June, 1960, Part II, Section 3, sub-section (i) at page 899-904, subsequently amended by —

S. No.	Notification number	Date	G.S.R.	Date
1	2	3	4	5
i.	16/2/61-AIS(III)	16-7-62	965	21-7-62
ii.	13/2/64-AIS(III)	7-12-64	1747	12-12-64

1	2	3	4	5
iii.	14/8/66-AIS/III)	4-10-67	1595	28-10-67
iv.	14/6/69-AIS(III)	16-7-69	1746	26-7-69
v.	14/13/68-AIS(III)	9-11-71	1857	11-12-71
vi.	12/4/71-AIS(III)	11-1-72	840	25-1-72
vii.	1/3/72-AIS(III)	16-5-72	666	10-6-72
viii.	3/1/72-AIS(III)	14-12-72	1617	30-12-72
ix.	11020/3/75-AIS(III)	15-11-75	2779	13-12-75
x.	3/3/74-AIS/(III)	28-10-75	2691	22-11-75
xi.	11020/2/77-AIS(III)	1-10-77	1393	22-10-77
xii.	11020/24/79-AIS(III)	4-10-80	1673	18-10-80
xiii.	11020/4/81-AIS(III)	21-12-81	6	2-1-82
xiv.	11020/18/83-AIS(III)	25-11-83	930	10-12-83
xv.	11020/27/83-AIS(III)	25-10-85	1040	9-11-85
xvi.	11020/21/84-AIS(III)	23-6-86	496	5-7-86
xvii.	11020/10/84-AIS(III)	23-7-86	584	9-8-86
xviii.	11017/38/87-AIS(III)	6-6-89	658(E)	30-6-89
xix.	11020/9/91-AIS(III)	6-2-92	70	2--2-92

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1998

सा०का०नि० 58:--भारतीय प्रशासनिक सेवा (सवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पजाब सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद सख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 1998 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद सख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची मे "पंजाब" शीर्षक के लिए तथा इसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् .

"पंजाब"

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	105
सरकार के मुख्य सचिव	1
वित्तीय आयुक्त (विकास)	1
वित्तीय आयुक्त/सरकार के प्रमुख सचिव	8
वित्तीय आयुक्त (अपील)	1
मुख्य चुनाव अधिकारी तथा सरकार के प्रमुख सचिव	1
प्रभागों के आयुक्त	
उत्पाद तथा कराधान के आयुक्त	1
मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव	1
राज्यपाल के सचिव	1
सरकार के सचिव	17
निदेशक/कार्यपालक निदेशक, पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान	1
पंजीयक, सहकारी समितियां	1
निदेशक, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति	1
निदेशक, संस्थागत वित्त तथा बैंकिंग और सरकारी उद्यम ब्यूरो एवं सरकार के सचिव	1
आवासीय आयुक्त, पंजाब सरकार, नई दिल्ली	1
सरकार के अपर/संयुक्त सचिव	23
जन सम्पर्क तथा सूचना निदेशक	1
राज्य परिवहन आयुक्त	1
राज्य परिवहन के निदेशक	1
उद्योगो के निदेशक	
ग्रामीण विकास तथा पचायत के निदेशक	
निदेशक, भूमि अभिलेख तथा बन्दोबस्त, चकबन्दी तथा भूमि अर्जन	1
स्थानीय शासन के निदेशक	1
श्रम आयुक्त तथा रोजगार निदेशक	1
निदेशक, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण	1
निदेशक, महिला तथा बाल विकास	1
उद्योगो के अपर निदेशक	4
अपर पंजीयक सहकारी समितिया	1
उत्पाद तथा कराधान अपुक्त	1
उपायुक्त	17

निदेशक, शिकायत तथा पेंशन	1
अपर उपायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, एकीकृत ग्रामीण विकास मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अपर उपायुक्त (विकास)	10
	105

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत की दर से 42

3. प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त 1 के 25 प्रतिशत की दर से 26

4. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से 3

5. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अनुसरण में पदोन्नति या चयन द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त 1, 2, 3 और 4 के जोड़ का 33⅓ प्रतिशत की दर से 58

6. छुट्टी रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से 17

7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+6—5) 135

सीधी भर्ती वाले पद	135
पदोन्नत पद	58
कुल प्राधिकृत पद संख्या	193

[सं० 11031/12/94-अ०भा०से-II(क)]
मधुमिता डी० मित्रा, डैस्क अधिकारी

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व पंजाब संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 193 थी।

टिप्पणी 2: मुख्य विनियम दिनांक 22-10-55 की सा० का०नि०आ० संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे। पंजाब संवर्ग से संबंधित विनियम दिनांक 29-10-60, 3-12-60, 21-1-61, 5-5-62, 14-7-62, 16-2-63, 21-11-64, 8-1-66, 10-9-66, 4-3-67, 25-3-67, 22-2-75, 22-6-76, 5-2-77, 17-11-79, 23-2-80, 5-9-81, 12-3-83, 9-3-85, 5-12-87, 6-12-89, 16-5-92, 12-9-92, 31-3-95 तथा 31-12-97 की सा०का०नि० संख्या 1251, 1417, 78, 629, 926, 279, 1637, 59, 1364, 261, 385, 227, 416ई, 155, 1371, 202, 808, 203, 249, 901, 1043ई, 223, 401, 319अ तथा 739अ द्वारा क्रमशः संशोधित किए गए थे।

New Delhi, the 23rd February, 1998

G.S.R. 58.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading 'Punjab' and the entries occuring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

'PUNJAB'

1. Senior posts under the State Government	105
Chief Secretary to Government	1
Financial Commissioner (Development)	1
Financial Commissioner/Principal Secretary to the Government	8
Financial Commissioner (Appeals)	1
Chief Electoral Officer and Principal Seeretary to Government	1
Commissioner of Division	4
Excise and Taxation Commissioner	1
Secretary to Governor	1
Secretary to Government	17
Principal Secretary to Chief Minister	1
Director/Executive Director, Punjab State Institute of Public Administration	1
Registrar, Cooperative Societies	1
Director, Food and Civil Supplies	1
Director, Institutional Finance & Banking & Bureau of Public Enterprises-cum-Secretary to Government	1
Resident Commissioner, Government of Punjab, New Delhi.	1
Special/Additional/Joint Secretary to Government	23
Director of Information and Public Relations	1
State Transport Commissioner	1
Director of State Transport	1
Director of Industries	1
Director of Rural Development & Panchayats	1

Director of Land Records and Settlement, consolidation and Land Acquisition	1
Director of Local Government	1
Labour Commissioner and Director of Employment	1
Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes	1
Director Development of Women & Children	1
Additional Director of Industries	1
Additional Registrar, Cooperative Societies	1
Additional Excise and Taxation Commissioner	1
Director Grievances and Pensions	1
Deputy Commissioner	17
Additional Deputy Commissioner/Joint Development Commissioner, Integrated Rural Development/Chief Executive Officer or Addl. Deputy Commissioner (Development)	10
	105
2. Central Deputation Reserve at the rate of 40% of 1 above	42
3. State Deputation Reserve @25% of 1 above	26
4. Training Reserve @ 3.5% of 1 above	3
5. Posts to be filled by promotion or selection in accordance with rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 33⅓% of item 1 plus 2 plus 3 plus 4 above	58
6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve 16.5% of 1 above	17
7. Posts to be filled by Direct Rectt. (1+2+3+4+6—5)	135
Direct Recruitment Posts	135
Promotion Posts	58
Total Authorised Strength	193

[No. 11031/12/94-AIS (II)—A]
MADHUMITA D. MITRA
Desk Officer

Note : I. Prior to issue of this notification the total authorised strength of Punjab Cadre of IAS was 193.

Note : II. The Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* SRO No. 3350 dated 22-10-1955. The Regulations in respect of Punjab Cadre have been amended *vide* GSR No. 1251, 1417, 78, 629, 926, 279, 1637, 59, 1364, 261, 385, 227, 416E 155, 1371, 202, 808, 203, 249, 901, 1043E, 223, 404, 319(E) and 739E, dated 29-10-1960, 3-12-1960, 21-1-1961, 5-5-1962, 14-7-1962, 16-2-1963,, 21-11-1964, 8-1-1966, 10-9-1966, 4-3-1967, 25-3-1967, 22-2-1975, 22-6-1976, 5-2-1977 17-11-1979, 23-2-1980, 5-9-1981, 12-3-1983 9-3-1985, 5-12-1987, 6-12-1989, 16-4-92 12-9-92, 31-3-95 and 31-12-97.

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1998

सा०का०नि० 59.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाए अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 मे और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 1998 है ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 मे—

(क) अनुसूची 3-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदो की सारणी मे, प्रथम कालम मे आने वाली "पंजाब" प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कालम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

संवर्ग का नाम	पदों का पदनाम	वेतन/वेतनमान
पंजाब	सरकार के मुख्य सचिव	रु० 26000/-
	वित्तीय आयुक्त (विकास)	रु० 26000/-
	वित्तीय आयुक्त/सरकार के मुख्य सचिव	रु० 22400-525-24500/-
	वित्तीय आयुक्त (अपील) मुख्य चुनाव अधिकारी तथा सरकार के प्रमुख सचिव	—यथोपरि—
	प्रभागों के आयुक्त	रु० 18400-500-22400/-
	उत्पाद और कराधान आयुक्त	—यथोपरि—

राज्यपाल के सचिव	रु० 18400-500-22400/-
सरकार के सचिव	—यथोपरि—
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	—यथोपरि—
निदेशक/कार्यकारी निदेशक, पंजाब	—यथोपरि—
राज्य लोक प्रशासन संस्थान	—यथोपरि—
पंजीयक, सहकारी समितिया	—यथोपरि—
निदेशक, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति	—यथोपरि—
निदेशक, सस्थागत वित्त तथा वैकिंग और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो एवं सरकार के सचिव	—यथोपरि—
आवासीय आयुक्त, पंजाब सरकार, नई दिल्ली	—यथोपरि—

(ख) अनुसूची 3-ख में राज्य सरकारों के अधीन (इसमें समय वेतनमानों के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल है) भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के वेतन वाले पदों की सारणी में पहले कालम में आने वाली प्रविष्टि "पंजाब" और दूसरे कालम मे आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सरकार के अपर/संयुक्त सचिव
सूचना तथा जन संपर्क निदेशक
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव
राज्य परिवहन आयुक्त
निदेशक, शिकायत तथा पेंशन
उद्योग के निदेशक
ग्रामीण विकास तथा पंचायत निदेशक
निदेशक, भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त, चकबन्दी तथा भूमि अर्जन
निदेशक, महिला तथा बाल विकास
स्थानीय सरकार के निदेशक
श्रम आयुक्त तथा रोजगार निदेशक
निदेशक, अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण
अपर निदेशक-उद्योग
अपर पंजीयक, सहकारी समितियां
उत्पाद तथा कराधान आयुक्त
उपायुक्त
अपर उपायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त
एकीकृत ग्रामीण विकास/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अपर उपायुक्त (विकास)

[सं० 11031/12/94-अ०भा०से०-II(ख)]
मधुमिता डी० मित्रा, डैस्क अधिकारी

टिप्पणी : ये मुख्य नियम दिनांक 14-9-54 की राजपत्र संख्या 158 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । पंजाब से संबंधित अनुसूची 3 के ये मुख्य नियम दिनांक 22-6-76, 17-11-79, 5-9-81, 12-3-83, 9-3-85, 5-12-87, 6-12-89, 16-5-92 तथा 12-9-92 क्रमश: सा०का०नि० संख्या 417ई, 1372, 809, 204, 250, 902, 1044ई, 224 तथा 405 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

New Delhi, the 23rd February, 1998

G.S.R. 59.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954—

(a) In Schedule III-A Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative service under the State Government in the Table, for the entry 'Punjab' occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third column, the following shall be substituted, namely:—

Name of Cadre—"PUNJAB".

Designation of posts	Pay/Scale of Pay
1	2
Chief Secretary to Government	Rs. 26000
Financial Commissioner (Development)	Rs. 26000
Financial Commissioner/ Principal Secretary, to the Government	Rs. 22400-525-24500
Financial Commissioner (Appeals)	—do—
Chief Electoral Officer and Principal Secretary to Govt.	—do—
Commissioner of Divisions	Rs. 18400-500-22400
Excise and Taxation Commissioner	—do—
Secretary to Governor	—do—
Principal Secretary to Chief Minister	—do—

1	2
Secretary to Government	18400-500-22400
Director/Executive Director, Punjab State Institute of Public Administration	—do—
Registrar, Cooperative Societies	—do—
Director, Food and Civil Supplies	—do—
Director, Institutional Finance & Banking & Bureau of Public Enterprises-cum-Secretary to Government	--do--
Resident Commissioner, Government of Punjab, New Delhi	—do—

(b) In Schedule-III-B Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay addition to pay in the time scale) in the Table for the entry 'Punjab' occurring in the first column and corresponding entries in the second column the following shall be substituted, namely.—

Additional/Joint Secretary to Government Director of Information and Public Relations.

State Transport Commissioner

Director of State Transport

Director of Industries

Director of Rural Development and Panchayats

Director, Development of Women & Children

Director of Land Records and Settlement, Consolidation and Land Acquisition

Direcor Grievances and Pensions

Director of Local Government

Labour Commissioner and Director of Employment

Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes

Additional Director of Industries

Additional Registrar, Cooperative Societies

Additional Excise and Taxation Commissioner Deputy Commissioner

Additional Deputy Commissioner/Joint Development Commissioner, Integrated Rural Development/Chief Executive Officer or Addl. Deputy Commissioner (Dev.)

[No. 11031/12/-94AIS. II(B)]

MADHUMITA D. MITRA, Desk Officer

Note :— The Principal Rules were published vide Gazette No. 158 dated 14-9-54. Schedule III of the Principal Rules in respect of Punjab was amended vide GSR Nos. 417E, 1372. 809. 204, 250, 902, 1044E, 224 and 405 dated 22-6-76, 17-11-79, 5-9-81, 12-3-83, 9-3-85 5-12-87, 6-12-89, 16-5-92 and 12-9-92 respectively.

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1998

सा० का० नि० 60 .—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1क) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से एतद्द्वारा, अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:--

1 (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) प्रथम संशोधन नियमावली, 1998 है ।

(2) ये पहली जुलाई, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 में :--

(क) नियम 10 में उप नियम (1) के खण्ड (ग) मे "240" अंक के स्थान पर "300" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे

(ख) नियम 11 मे उप नियम (1) के परन्तुक में "240" अंक के स्थान पर "300" अक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ग) नियम 20क मे :—

(i) उप-नियम (1) में "240 दिन" अंकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--
"नियम 20 ग के अन्तर्गत अर्जित अवकाश के दिनों की संख्या, जिन के संबंध मे नकदीकरण करा लिया गया है, को शामिल कर के 300 दिन"

(ii) उप नियम 3 मे "240" अंकों के स्थान पर "300" अंक प्रतिस्थापित किये जायेगे।

(घ) नियम 20 ख मे "20 दिन" अंकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:
"नियम 20 ग के अन्तर्गत अर्जित अवकाश के दिनों की संख्या जिस के संबंध में नकदीकरण करा लिया गया है, को शामिल करके 150 दिन"

[सं० 11019/6/97--अ०भा० से--3]
ए० के० सरकार, निदेशक (सेवाएं)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 7 अक्तूबर, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14028/7/97–स्थापना (छुट्टी) द्वारा केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की संख्या मे वृद्धि और उसके नकदीकरण संबंधी प्रसुविधाएं प्रदान कर दी है । यह प्रसुविधा 1 जुलाई, 1997 मे लागू की गई है । चूंकि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की हकदारी सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों की हकदारी के बराबर ही रखी जाती है अत. उक्त ज्ञापन में निहित उपबंधों को, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में भी, अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 को उपयुक्त रूप से संशोधित करके, 1 जुलाई, 1997 से ही अर्थात् भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन संशोधनो को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी सदस्य प्रतिकूल रूप मे प्रभावित नही होगा ।

टिप्पणी .— मुख्य नियम दिनांक 12-9-55 की अधिसूचना सं० 5/2/53–अ०भा०से०-2 सा०का०नि० सं० 1979 द्वारा भारत के राजपत्र मे दिनांक 17-9-55 को प्रकाशित किए गए तथा तदनन्तर निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

क्र०सं०	अधिसूचना संख्या	दिनांक	सा०का०नि० संख्या	प्रकाशन की तारीख
1.	14/9/66–अ०भा०से०-3	19-10-66	1633	29-10-66
2.	14/2/68–अ०भा०से०-3	05-09-68	1562	14-09-68
3.	7/1/73–अ०भा०से० (2)–क	02-01-75	39	18-01-75
4.	1/9/74–अ०भा०से०-3	10-06-75	754	21-06-75
5.	11019/5/76–अ०भा०से०-3	20-06-77	815	25-06-77
6.	11019/7/76- अ०भा०से०-3	20-06-77	816	25-06-77
7.	25011/46/76–अ०भा०से०-2-ख	28-03-78	451	08-04-78
8.	11019/9/76–अ०भा०से०-3	17-07-76	1109	31-07-76
9.	11019/13/77–अ०भा०से०-3	01-07-77	431ई	01-07-77
10.	11019/3/77–अ०भा०से०-3	28-06-78	894	15-07-78
11.	11019/14/78–अ०भा०से०-3	27-01-79	190	10-02-79
12.	25011/34/77–अ०भा०से०-2-ख	12-02-78	254	18-02-78
13.	11019/40/77–अ०भा०से०-3	22-02-79	366	10-03-79
14.	11019/5/78–अ०भा०से०-3	19-04-80	475	03-05-80
15.	11019/17/79–अ०भा०से०-3	28-08-80	950	29-09-80
16.	11019/25/80–अ०भा०से०-3	04-11-82	931	20-11-82
17.	11019/24/84–अ०भा०से०-3	13-04-83	338	30-04-83
18.	11019/25/81–अ०भा०से०-3	03-02-84	153	18-02-84
19.	11019/10/84–अ०भा०से०-3	15-11-85	1111	30-11-85
20.	11019/16/85–अ०भा०से०-3	26-05-86	411	07-06-86
21.	11019/10/86–अ०भा०से०-3	14-05-87	406	30-05-87
22.	11019/11/88–अ०भा०से०-3	29-03-89	397ई	29-03-89
23.	11019/4/88–अ०भा०से०-3	08-01-90	45	27-01-90
24.	11019/6/90–अ०भा०से० 3	11-04-91		
25.	11019/2/90–अ०भा०से०-3	06-02-92	94(ई)	11-02-92
26.	11019/6/91–अ०भा०से०-3	03-05-93	252	22-05-93
27.	11019/3/91–अ०भा०से०-3	02-09-92	422	26-09-92
28.	11019/7/93–अ०भा०से०-3	22-12-93	52	22-12-93

New Delhi, the 3rd March, 1998

G.S.R. 60.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules to further amend the All India Services (Leave) Rules, 1955, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Service (Leave) First Amendment Rules, 1998.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 1997.

2. In the All India Services (Leave) Rules, 1955—

(a) in rule 10, in sub-rule (1), in clause (c), for the figures "240", the figures "300" shall be substituted;

(b) in rule 11, in sub-rule (1), in the proviso, for the figures "240", the figures "300" shall be substituted;

(c) in rule 20A—

(i) in sub-rule (1), for the figures and word "240 days", the following shall be substituted, namely :—

"300 days including the number of days of earned leave in respect of which encashment has been made under Rule 20 C."

(ii) in sub-rule (3), for the figures "240", the figures "300" shall be substituted;

(d) in rule 20B, for the figures and word "120 days" the following shall be substituted, namely:—

"150 days" including the number of days of earned leave in respect of which encashment has been made under Rule 20C".

[No. 11019/6/97-AIS(III)]

A. K. SARKAR, Director(S)

EXPLANATORY MEMORANDUM

On the recommendation of Fifth Central Pay Commission, the Government of India in the Department of Personnel and Training vide their Officer Memorandum No. 14028/7/97-Estt. (L) dated 7th October, 1997 have extended the benefits of enhancement of and encashment of earned leave to all Central Government employees. This benefit has been made applicable with effect from the 1st July, 1997. Since the entitlement members of All India Services are normally kept at par with those of Central Government Group 'A' Officers, it is proposed to extend the provisions contained in the said Office Memorandum to the members of All India Services also from the 1st July, 1997 by suitably amending the All India Services (Leave) Rules, 1955, that is, with retrospective effect. It is certified that none will be adversely affected by these amendments being given retrospective effect.

NOTE : Principal rules were notified vide Notification No. 5/2/53-AIS(II) dated : 12-9-1955, published in Gazette of India dated 17-9-1955 under G.S.R. No. 1979, subsequently amended by :—

Sl. No.	Notification No.	Date	G.S.R. No.	Date of Publiction
1	2	3	4	5
1.	14/9/66-AIS(III)	19-10-66	1633	29-10-1966
2.	14/2/68-AIS(III)	05-09-68	1562	14-9-1968
3.	7/1/73-AIS(III)	02-01-75	39	18-1-1975
4.	1/9/74-AIS(III)	10-06-75	754	21-06-1975
5.	11019/5/76-AIS(III)	20-06-77	815	25-06-1977
6.	11019/7/76-AIS(III)	20-06-77	816	26-06-1977
7.	25011/46/76-AIS(III)B	28-03-78	451	08-04-1978
8.	11019/9/76-AIS(III)	17-07-76	1109	31-7-1976
9.	11019/13/77-AIS(III)	01-07-1977	431(E)	01-07-1977
10.	11019/3/1977-AIS(III)	28-6-1978	894	15-07-1978
11.	11019/14/1978-AIS(III)	27-01-1979	190	10-02-1979
12.	25011/34/77-AIS(III)B	12-2-78	254	18-02-1978
13.	11019/40/77-AIS(III)	22-02-79	366	10-03-1979
14.	11019/5/78-AIS(III)	19-04-1980	475	03-05-1980
15	11019/17/79-AIS/III)	28-04-80	950	29-09-1980
16.	11019/25/90-AIS(III)	04-11-82	931	20-11-1982
17.	11019/24/81-AIS(III)	13-04-83	338	30-04-1983
18.	11019/25/83-AIS(III)	03-02-84	153	18-02-1984
19.	11019/10/84-AIS(III)	15-11-85	1111	30-11-1985
20.	11019/16/85-AIS(III)	26-5-86	411	07-06-1986

1	2	3	4	5
21.	11019/10/86-AIS(III)	14-5-87	406	30-5-1987
22.	11019/11/88-AIS(III)	29-03-1989	397(E)	29-3-1989
23.	11019/4/88-AIS(III)	08-01-90	45	27-01-1990
24.	11019/6/90-AIS(III)	11-4-91		
25.	11019/2/90-AIS/III)	06-02-92	94(E)	11-2-1992
26.	11019/6/91-AIS(III)	03-05-93	252	22-05-93
27.	11019/3/91-AIS(III)	02-09-92	422	26-09-92
28.	11019/7/93-AIS/III)	22-12-93	52	22-12-99

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

सा०का०नि० 61.—दिनांक 31-12-1997 को भारत के असाधारण राजपत्र में, सा० का० नि० स० 730(ई) के रूप मे प्रकाशित, भारत सरकार के कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 31-12-1997 की अधिसूचना स० 14015/51/96-अ० भा० से० (1) ख के पैरा 5 के उप पैरा (ii) में "तथा (ग)" शब्द विलोपित कर दिए जाएं।

[सं० 14015/51/96-अ० भा० से० (1)-ख]
आर० वैद्यनाथन, डैस्क अधिकारी

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th February, 1998

G.S.R. 61.—In Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training)'s Notification No. 14015/51/96-AIS(I)-B dated 31-12-1997, published in Gazette of India Extraordinary dated 31-12-1997 as G.S.R. No. 730(E), in sub-para (ii) of para 5, the words "and (c)" may be deleted.

[No. 14015/51/96-AIS(I)-B]
R. VAIDYANATHAN, Desk Officer

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998

सा०का०नि० 62.—भारत के असाधारण राजपत्र म दिनांक 31-12-1997 को सा० का० नि० संख्या 731(ई) के रूप में प्रकाशित, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 31-12-1997 की अधिसूचना संख्या 14015/51/96—अ० भा० से० (1)—ग के पैरा 9 में "भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955" शब्द जहां कहीं भी आएं उनके स्थान पर "भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966" पढा जाए।

[सं० 14015/51/96-अ०भा०से० (1)—ग)]
आर वैद्यनाथन, डैस्क अधिकारी

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th February, 1998

G.S.R. 62.—In Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training)'s Notification No. 14015/51/96-AIS(I)-C dated 31-12-1997, published in Gazette of India Extraordinary dated 31-12-1997 as G.S.R. No. 731(E), in para 9 for the words "Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955" read, "Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966", wherever it occurs.

[No. 14015/51/96-AIS(I)-C]
R. VAIDYANATHAN, Desk Officer

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1998

सा० का० नि० 63.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 22 नवम्बर, 1997 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 384 तारीख 10 नवम्बर, 1997 में—

पृष्ठ सं० 2433 पर, पंक्ति सं० 6 में "भर्ती" शब्द के स्थान पर "भर्ती (संशोधन)" पढ़े।

[फाइल सं० ए० 12018/1/96—ए डी० 1बी]
अनीता चौहान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th March, 1998

G.S.R. 63.—In the Notification of the Government of India, in this Ministry of Finance Department of Revenue), number G.S.R. 384, dated the 10th November, 1997, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India dated the 22nd November, 1997—

at page 2435, in line 8, for "Recruitment", read "Recruitmeat (Amendment)".

[F. No. A-12018/1/96-Ad. 1-B]
ANITA CHAUHAN, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1998

सा० का० नि० 64.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 22 नवम्बर, 1997 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 383, तारीख 10 नवम्बर, 1997 में :—

(i) पृष्ठ सं० 2431 पर, पंक्ति स० 4 मे, "भर्ती" शब्द के स्थान पर "भर्ती (सशोधन)" पढ़े

(ii)

[फाइल स० ए० 12018/1/96- ए०डी० 1बी]
अनीता चौहान, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th March, 1998

G.S.R. 64.—In the notification of the Government of India in this Ministry of Finance (Department of Revenue), number G.S.R. 383, dated the 10th November, 1997, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, dated the 22nd November, 1997—

(i) at page 2342, *in line* 7, for "Recruitment", read "Recruitment (Amendment)";

(ii) in the line 21, for "1800", read "8000".

[F. No. A-12018/1/96-Ad. 1B]
ANITA CHAUHAN, Under Secy.

ग्रामीण विकास और रोजगार मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1998

सा. का. नि. 65.—चावल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1997 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चावल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1939 के अधिक्रमण मे बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की सभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है पैतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव या आक्षेप करना चाहता है उसे, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय सरकार, कार्यालय परिसर, न्यू बिल्डिंग, एन.एच.-IV फरीदाबाद, 121001 (हरियाणा) को केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ भेज सकेगा ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चावल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1997 है ।

(2) ये चावल ((ओरइजा साटाइवा एल.) को लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र मे अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमो मे जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(i) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ii) "प्राधिकृत पैकर" से कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों में विनिर्दिष्ट श्रेणी मानकों के अनुसार चावल के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र दिया गया है;

(iii) "प्राधिकार प्रमाण पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जिसमे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिन्ह के साथ चावल का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए 'प्राधिकृत किया जाता है',

(iv) "साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाया गया साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(v) "अनसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(vi) "चावल" से ओरांइजा साटाइवा प्रजाति के सम्पूर्ण या टूटी गिरी जिसमे भूसी हटा दी गई है, अभिप्रेत है;

(vii) "धान चावल" से ऐसा चावल अभिप्रेत है जिसमें थ्रेशिग के पश्चात् गिरी मे भूसी लगी हो;

(viii) "कच्चा चावल" से ऐसा चावल अभिप्रेत है जिसका स्टार्च कृत्रिम साधनों द्वारा जिलेहनीकृत नही किया गया है;

(ix) "हथ कुट्टा/छिलकारहित/तुषा युक्त/भूरा चावल" से ऐसा तुषायुक्त चावल अभिप्रेत है जिसे मील से तैयार या पालिश नहीं किया गया है । भूसी हटाने या उसाई धोराई कराने मे कुछ चोकर का नुकसान हो सकता है ;

(x) "मील मे कुटा चावल" से मील मे कुटाई के पश्चात् अभिप्राप्त ऐसा चावल अभिप्रेत है जिसमें गिरी से चोकर और जनन का सम्पूर्ण या भाग निकाला गया हो;

(xi) "उसना चावल" से ऐसा चावल जिसमें धान या तुषायुक्त चावल को जल में भिगोकर फिर उष्मा उपचार और शुष्कन प्रक्रिया द्वारा स्टार्च को पूरी जिलेटनीकृत किया गया चावल अभिप्रेत है;

(xii) "सम्पूर्ण गिरी" चावल की ऐसी गिरी अभिप्रेत है जिसका कोई भाग टूटा न हो;

(xiii) "मुख्य गिरी" से चावल की ऐसी गिरी अभिप्रेत है जिसकी लम्बाई तत्स्थानी सम्पूर्ण गिरी से बड़ी या औसत लम्बाई के तीन चौथायी के बराबर हो,

(xiv) "टूटी गिरी" से चावल की ऐसी गिरी अभिप्रेत है जिसकी लम्बाई सम्पूर्ण तत्स्थानी गिरी की औसत लम्बाई की तीन चौथाई से न्यून और एक चौथाई तक हो;

(xv) "टुकड़ा" से चावल की ऐसी गिरी अभिप्रेत है जो सम्पूर्ण गिरी की औसत लम्बाई का एक चौथाई से न्यून है;

(xvi) "क्षतिग्रस्त और अपवर्णित गिरी" से ऐसी सम्पूर्ण या टूटी चावल गिरी अभिप्रेत है जिसमें आर्द्रता, कीट, रोग या अन्य कारणो से स्पष्ट क्षय दर्शित होता है किन्तु इसमें ताप से क्षति ग्रस्त गिरी नहीं है;

(xvii) "खड़िया मिट्टी गिरी" से लक्षदार चावल को छोड़कर ऐसी सम्पूर्ण या टूटी चावल गिरी अभिप्रेत है जिसकी सतह को कम से कम तीन भाग देखने में अपारदर्शी और चूर्णी है;

(xviii) "प्रतनुछिन्न" से अंश उसना चावल सम्पूर्ण या टूटे चावल की ऐसी गिरी अभिप्रेत है जिसकी सतह एक चौथाई से अधिक गहरा भूरा या काले रग का है;

(xix) "लाल गिरी" से ताप क्षतिग्रस्त गिरी को छोड़ कर सम्पूर्ण या टूटे चावल की ऐसी गिरी अभिप्रेत है जिसकी फलभित्ति की सतह का एक चौथाई भाग लाल रंग का है;

(xx) "हरी और अपरिपक्व गिरी" से चावल की सम्पूर्ण या टूटी ऐसी गिरी अभिप्रेत है जो कच्ची और या अर्ध विकसित है;

(xxi) "घुन लगी गिरी" से चावल की ऐसी गिरी अभिप्रेत है जो घुन या अनाज के अन्य कीड़ो द्वारा पूर्णत: या भागत: छिद्रित या खाई हुई है,

(xxii) "विजातीय पदार्थ" से चावल की सम्पूर्ण या टूटी गिरी से भिन्न ऐसा जैव और अजैव संघटक अभिप्रेत है,

(क) "जैविक विजातीय पदार्थ" से धान, विजातीय खाद्य बीज, भूसी, चोकर, पुआल के टुकड़े आदि अभिप्रेत है,

(ख) "अजैविक विजातीय पदार्थ" से पत्थर, रेत धूल आदि अभिप्रेत है;

(xxiii) "अधिमिश्रण" से ऐसा चावल अभिप्रेत है जो किस्मो के या लम्बाई और लम्बाई, चौड़ाई अनुपात के अनुरूप नही है।

3 श्रेणी अभिधान.—चावल की क्वालिटी दर्शाने वाले श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 से 10 मे दी गई है।

4. क्वालिटी की परिभाषा.—अपनी-अपनी श्रेणी अभिधान द्वारा उपदर्शित क्वालिटी अनुसूची 2 मे 8 के स्तम्भ 2 से 11 मे, अनुसूची 9 के स्तम्भ 2 से 8 मे और अनुसूची 10 के स्तम्भ 2 मे 7 में दी गई है।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न. (i)—श्रेणी अभिधान चिन्ह मे अनुसूची I के भाग I में विनिर्दिष्ट एगमार्क लेबल होगा। उसमे वस्तु का नाम श्रेणी अभिधान और "AGMARK" एगमार्क शब्द सहित भारत के नक्शे की बाह्य रेखाओं का डिजाइन होगा तथा अनुसूची I मे यथा उपवर्णित प्रकार के उगते हुए सूरज का चित्र होगा,

या

(ii) एगमार्क लेबल के स्थान पर ऐसे डिजाइन वाली अनुसूची I के भाग 2 में विनिर्दिष्ट एगमार्क प्रतिकृति होगी जिसमें एगमार्क शब्द प्राधिकार प्रमाण पत्र की क्रम सख्यांक वस्तु का नाम और श्रेणी अभिधान सम्मिलित होगे;

परन्तु एगमार्क प्रतिकृति का उपयोग करने के लिए कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है।

6. पैक करने की पद्धति.—(i) श्रेणीकृत चावल नए, साफ मजबूत और शुष्क जूट के थैले, कपड़े के थैले, पाली-व्यूतित थैली पॉलीथीन पॉलीप्रोपलीन या सेलूफैन या कागज के पैकों मे और अन्य खाद्य श्रेणी प्लास्टिक/पैकिंग सामग्री मे पैक किया जाएगा;

(ii) पैकेज प्रणाली पदार्थ कीट ग्रसन, कवक संदूषण और प्रणसी पदार्थ और घृणाजनक गध से मुक्त होगे;

(iii) प्रत्येक पैकेज सुरक्षित रूप से बन्द किया जाएगा और कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में उपयुक्त रूप से मुहर बन्द किया जाएगा;

(iv) प्रत्येक पैकेज मे एक ही श्रेणी अभिधान का चावल अन्तर्वस्तु होगा;

(v) चावल, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के उपबन्धो के अधीन यथाविनिर्दिष्ट मात्राओं मे पैक किया जाएगा।

7. चिन्हांकन पद्धति.—(i) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिन्ह सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा या स्पष्टत: और अमिट रूप से मुद्रित किया जाएगा,

(ii) लेवल या पैकेज पर श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः और अलोप्य रूप से चिन्हांकित होंगी :—

(क) पैकर का नाम और पता,

(ख) पैक करने का स्थान,

(ग) पैक करने की तारीख—. . . . मास . . . वर्ष . . . में,

(घ) लॉट/बैच संख्या,

(ङ) शुद्ध भार,

(च) कीमत;

(iii) चिन्हांकन के लिए उपयोग में लाई गई स्याही उत्पाद की क्वालिटी को संदूषित या अवनित नहीं करेगी ;

(iv) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से पैकेज पर अपने प्राइवेट व्यापार चिन्ह को चिन्हांकित और/या लगा सकेगा।

परन्तु यह तब जब कि प्राइवेट व्यापार चिन्ह वस्तु की ऐसी क्वालिटी या श्रेणी को दर्शित नहीं करता है जो उससे भिन्न है जैसी कि इन नियमों के अनुसार पैकेज पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह ।

8. प्राधिकार प्रमाणपत्र देने के लिए विशेष शर्तें.—साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम 8 मे विनिर्दिष्ट शर्तो के अतिरिक्त इन नियमो के अधीन चावल के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र देने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी, अर्थात् :—

(i) प्राधिकृत पैकर चावल के परीक्षण के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित की जाए;

(ii) प्रसंस्करण पैकिंग और भंडारण के लिए परिसर पूर्ण स्वास्थ्यकर और स्वच्छ दशा की अवस्थाओं मे बनाए रखा जाएगा;

(iii) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिक पूर्णतः स्वस्थ होंगे और किसी भी सांसर्गिक रोग से मुक्त होंगे।

9. निरसन और व्यावृत्ति.—चावल, श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1939 के उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन मे या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या हुए पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निरसित किए जाते है ।

भाग-I

अनुसूची-I

[नियम 5(i) देखिए]

श्रेणी अभिधान चिन्ह (एगमार्क लेबल पर डिजाइन)

भाग-2

अनुसूची—I

[नियम 5(ii) देखिए]

श्रेणी अभिधान चिन्ह

(एगमार्क प्रतिकृति की डिजाइन)

अनुसूची—II

(नियम 3 और 4 देखें)

"हाथकुट्टा/भूलीरहित भूरा बासमती चावल का श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता की परिभाषा

गुणवत्ता की परिभाषा

विशेष अपेक्षाएं

श्रेणी अभिधान	सह्यसीमा की अधिकतम मात्रा (भार के अनुसार प्रतिशत)								
	बाह्य पदार्थ								
	कार्बनिक	अकार्बनिक	टूटे और खंडित	क्षतिग्रस्त अपवर्णित खड़ियामय और अपरिपक्व गिरियां	कीट ग्रसित गिरियां	लाल गिरी सहित समिश्रण	नमी	गिरी की लम्बाई (मिलीमीटर) न्यूनतम	लम्बाई चौड़ाई अनुपात (न्यूनतम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी—I	0.25	0.25	6.0	1.0	0.5	5.0	14.0	6.0	3.0
श्रेणी—II	0.50	0.25	8.0	2.0	0.5	8.0	14.0	6.0	3.0
श्रेणी—III	1.00	0.50	10.0	3.0	1.0	10.0	14.0	6.0	3.0

साधारण अपेक्षाएं

11

1. चावल की गिरियां लम्बी पतली, रंग मे सफेद, क्रीमी सफेद या धुलर सा तथा पारभासी होंगी।

2. चावल :—

(क) ओरइजा सटाइवा एल. की सूखी और परिपक्व गिरियां होंगी तथा परिमाण, आकार और रंग मे समरुप होगी।

मुण्डके गिरियां 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

(ख) कच्ची और पकाई दोनों अवस्थाओं मे बासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेष स्तर की होगी ;

(ग) कृत्रिम रूप से रंगे नहीं जाएगें तथा परिष्कृत कारक से मुक्त होंगे।

(घ) सुस्वाद, सख्त, साफ, सावुत होगें तथा फफूदी, जीवित–कीटो, पाद जाल, अप्रिय गंध अपवर्ण से मुक्त होगे तथा अनुसूची मे निर्दिष्ट अपमिश्रण सीमा को अतिरिक्त हानिकारक पदार्थो और अन्य अपद्रव्यो के अपमिश्रण से मुक्त होंगे। हानिकारक पदार्थों और अन्य अपद्रव्यो के अपमिश्रण से मुक्त होंगें।

(ड) ब्रैनयुक्त गिरियों की मात्रा तीन प्रतिशत तक हो सकती है।

(च) उचित विपणनीय स्थिति में होगे।

3. चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 समय-2 पर संशोधित में निर्धारित अपेक्षाओ के अनरूप होगें तथा

(क) यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मि. ग्रा./कि. ग्रा. से अधिक नही होगी।

(ख) एफेलटाक्सिन सहित माइकाटोक्सिन 30 माइक्रोग्राम/कि. ग्रा. से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची---III

(नियम 3 और 4 देखें)

मशीन द्वारा धान से तैयार किए गए कच्चे बासमती चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता की परिभाषा

गुणवत्ता की परिभाषा
विशेष अपेक्षाएं

श्रेणी अभिधान	सह्यसीमा की अधिकतम मात्रा (भार के अनुसार प्रतिशत)								
	बाह्य पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	टूटे और खण्डित	क्षतिग्रस्त अपवर्णित खड़ियामय और अपरिपक्व गिरिया	कीट-ग्रसित गिरियां	लाल गिरि सहित सम्मिश्रण	नमी	गिरी की लम्बाई (मि मी.) न्यूनतम	लम्बाई/चौड़ाई अनुपात न्यूनतम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी—I	0.25	0.25	5.0	1.0	0.50	5.0	14.0	6.0	3.0
श्रेणी—II	0.50	0.25	7.0	2.0	0.50	8.0	14.0	6.0	3.0
श्रेणी—III	1.00	0.50	9.0	3.0	1.0	10.0	14.0	6.0	3.0

साधारण अपेक्षाएं

11

1. चावल की गिरियां लम्बी पतली, रंग में सफेद क्रीमी सफेद या घुसर-सा तथा पारभासी होंगी।

2. चावल.---

(क) ओरइजा सटाइवा एल. की सूखी, परिपक्व गिरियां होंगी तथा परिमाण, आकार, और रंग में समरूप होंगी। मुण्डक गिरियां 10 प्रतिशत से अधिक नही होंगी।

(ख) कच्ची और पकाई गई दोनों अवस्थाओं में बासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेष दर्जे की होगी।

(ग) कृत्रिम रूप से रंगे नही जाएंगे तथा परिष्कृत कारक से मुक्त होंगे।

(घ) सुस्वाद, सख्त, साफ, साबुत होंगे तथा फूंदी, जीवित कीटो, पादजाल, अप्रिय गंध, अपवर्ण से मुक्त होंगे तथा अनुसूची में निर्दिष्ट अपमिश्रण सीमा के अतिरिक्त हानिकारक पदार्थों और अन्य अपद्रव्यों के अपमिश्रण से मुक्त होंगे,

(ङ) त्रैनयुक्त गिरियों की मात्रा तीन प्रतिशत तक हो सकती है

(च) उचित विपणनीय स्थिति में होंगे।

3. चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 समय-समय पर संशोधित में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा

(क) यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मि ग्राम/कि. ग्राम से अधिक नही होगी।

(ख) एफलाटोक्सिन सहित माइक्रोताक्सिन 30 माइक्रोग्राम/कि. ग्रा. से अधिक नही होगा।

अनुसूची–IV

(नियम 3 और 4 देखिए)

मशीन द्वारा तैयार किया गया मेला वासमती चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता की परिभाषा

गुणवत्ता की परिभाषा

विशेष अपेक्षाएं

श्रेणी अभिधान	सहयसीमा की अधिकतम मात्रा (भार के अनुसार प्रतिशत)								
	बाह्य पदार्थ		टूटी और खण्डित	क्षतिग्रस्त, अपवर्णित और अपरिपक्व गिरियां	कीट ग्रसित गिरियां	लाल गिरि सहित सम्मिश्रण	नमी	गिरि की लम्बाई (मि.मी.) (न्यूनतम)	लम्बाई/चौड़ाई का अनुपात (न्यूनतम)
	कार्बनिक	अकार्बनिक							
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी-I	0.25	0.25	4.0	1.0	0.5	5.0	14.0	6.0	3.0
श्रेणी-II	0.50	0.25	6.0	2.0	0.5	8.0	14.0	6.0	3.0
श्रेणी-III	1.00	0.50	8.0	3.0	1.0	10.0	14.0	6.0	3.0

साधारण अपेक्षाएं

11

1. चावल की गिरियां लम्बी, पतली, क्रीमी सफेद धुलर-सा तथा पारभासी होंगी ;

2. चावल—

(क) "आरइजा सटाइवा एल" की सूखी, परिपक्व गिरियां होंगी तथा परिमाण, आकार और रंग में समरूप होगी । मुण्डक गिरियों का प्रतिशत 10 से अधिक नहीं होगा ;

(ख) कच्ची और पकाई गई दोनों स्थितियों में वासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेष दर्जे की होगी –

(ग) इन्हें कृत्रिम रूप से रंगा नहीं जाएगा तथा ये परिष्कृत कारक से मुक्त होंगे ;

(घ) सुस्वाद, सख्त, साफ, साबुत होंगे तथा फफूंदी, जीवित कीटाणु, पादजाल, अप्रिय गंध, अपवर्ण से मुक्त होंगे तथा अनुसूची में निर्दिष्ट अपमिश्रण सीमा के अतिरिक्त हानिकारक पदार्थों और अन्य अपद्रव्यों के अपमिश्रण से मुक्त होंगे ;

(ङ) क्षतियुक्त गिरियों की मात्रा तीन प्रतिशत तक हो सकती है ।

(च) उचित विपणनीय स्थिति में होंगे ।

3. चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 समय-समय पर संशोधित, में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा

(क) यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मि.ग्रा. प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगी ।

(ख) एफ्लायोक्सिन सहित माइक्रोटाक्सिन 30 माईक्रोग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ।

अनुसूची—V

(नियम 3 और 4 देखिए)

कच्चा हाथ कुट्टा/छिलका सहित भुने चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता की परिभाषा

गुणवत्ता की परिभाषा

विशेष अपेक्षाएं

श्रेणी अभिधान	सह्यसीमा की अधिकतम मात्रा (भार के अनुसार प्रतिशत)								
	बाह्य पदार्थ		टूटे और खण्डित	क्षतिग्रस्त आंशिक क्षतिग्रस्त रंगी, चाकमय और अपरिपक्व गिरियां	अपमिश्रित गिरियां	लाल गिरि सहित नमिश्रण	नमी	गिरि की लम्बाई (मिली मी.) (न्यूनतम)	लम्बाई/चौड़ाई अनुपात (न्यूनतम)
	कार्बनिक	अकार्बनिक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी-I	0.5	0.5	5.0	2.0	0.5	5.0	14.0	सामान्य अपेक्षाओं के कालम सं. 11.1 में यथा विनिर्दिष्ट	सामान्य अपेक्षाओं के कालम सं. 11 में यथा विनिर्दिष्ट
श्रेणी-II	1.0	0.5	9.0	3.0	1.0	10.0	14.0		
श्रेणी-III	1.5	0.5	12.0	4.0	2.0	15.0	14.0		
श्रेणी-IV	1.5	0.5	15.0	1.0	3.0	20.0	14.0		

साधारण अपेक्षाएं

II

1. चावल गिरियों की लम्बाई और लम्बाई-चौड़ाई के अनुपात के आधार पर चावल को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :—

क्रम सं.	वर्ग	लम्बाई	लम्बाई चौड़ाई का अनुपात
1	2	3	4
1.	लम्बा पतला चावल	6 मि. मी. और इससे अधिक	3.0 और इससे अधिक
2.	छोटा पतला चावल	6 मि. मी. से कम	3.0 और इससे अधिक
3.	लम्बा मध्यम चावल	6 मि. मी. और इससे अधिक	2.5 से 3.0 से कम तक
4.	छोटा मध्यम चावल	6 मि. मी. से कम	2.5 से 3.0 से कम तक
5.	लम्बा सामान्य चावल	6 मि. मी. और इससे अधिक	2.0 से 2.5 से कम तक
6.	छोटा सामान्य चावल	6 मि. मी. से कम	2.0 से 2.5 से कम तक

2. चावल :—

(क) "ओरिजा सटाइवा एल" की सूखी परिपक्व गिरियां होंगी और परिमाण, आकृति तथा रंग में समरूप होंगी। मण्डुक गिरियों का प्रतिशत 10 से अधिक नहीं होगा।

(ख) इन्हें कृत्रिम रूप से रंगा नहीं जाएगा तथा ये परिरक्षक कारक से मुक्त होंगे ।

(ग) सुस्वाद, स्वच्छ, साफ, साबुत होंगे तथा फफूंदी, जीवित कीटाणु, पावजाल, अप्रिय गंध, आर्द्रता से मुक्त होंगे तथा अनुसूची में निर्दिष्ट अपमिश्रण सीमा के अतिरिक्त हानिकारक पदार्थों और अन्य अपद्रव्यों के अपमिश्रण से मुक्त होंगे ;

(घ) उचित विपणनीय स्थिति में होंगे :

3. चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 समय-समय पर संशोधित में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा

(क) यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मि.ग्राम/कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगी।

(ख) एफ्लाटाक्सिन सहित माइक्रोटाक्सिन 30 माइक्रोग्राम/कि.ग्राम से अधिक नहीं होगा ।

अनुसूची—VI

(नियम 3 और 4 देखिए)

मशीन द्वारा तैयार किए गए कच्चे चावल की श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	गुणवत्ता की परिभाषा — विशेष अपेक्षाएं — सह्यसीमा की अधिकतम मात्रा (भार के अनुसार प्रतिशत)								
	बाह्य पदार्थ		टूटे और खण्डित	क्षतिग्रस्त, अवर्णित, खड़ियामय और अपरिपक्व	कीट ग्रसित गिरियां	लाल गिरि सहित सम्मिश्रण	नमी	गिरी की लम्बाई (मि.मी.) न्यूनतम	लम्बाई चौड़ाई का अनुपात (न्यूनतम)
	कार्बनिक	अकार्बनिक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी-I	0.5	0.5	4.0	1.5	0.5	5.0	14.0	सामान्य अपेक्षाओं के कालम सं. 11.1 में यथा विनिर्दिष्ट	सामान्य अपेक्षाओं के कालम सं. 11.1 में यथा विनिर्दिष्ट
श्रेणी-II	1.0	0.5	6.0	2.0	1.0	10.0	14.0		
श्रेणी-III	1.5	0.5	8.0	3.0	2.0	15.0	14.0		
श्रेणी-IV	1.5	0.5	10.0	4.0	3.0	20.0	14.0		

साधारण अपेक्षाएं

11

1. साबुत गिरी की लम्बाई तथा लम्बाई-चौड़ाई के अनुपात के आधार पर निम्न रूप में चावल को वर्गीकृत किया जाएगा :—

क्रम सं	वर्ग	लम्बाई	लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात
1	2	3	4
1.	लम्बा पतला चावल	6 मि.मी. और इससे अधिक	3.0 और इससे अधिक
2.	छोटा पतला चावल	6 मि.मी. से कम	3.0 और इससे अधिक
3.	लम्बा मध्यम चावल	6 मि.मी. और इससे अधिक	2.5 से 3.0 से कम तक
4.	छोटा मध्यम चावल	6 मि.मी. से कम	2.5 से 3.0 से कम तक
5	लम्बा सामान्य चावल	6 मि.मी. और इससे अधिक	2.0 से 2.5 से कम तक
6.	छोटा सामान्य चावल	8 मि.मी. से कम	2.0 से 2.5 से कम तक

2. चावल.—

(क) ओरइजा सटाइवा एल. की सूखी, परिपक्व गिरियां होंगी तथा परिमाण, आकार और रंग में समरूप होंगी, मुण्डक गिरियों का प्रतिशत 10 से अधिक नहीं होगा ;

(ख) इन्हें कृत्रिम रूप से रंगा नहीं जाएगा तथा ये परिष्कृत कारक से मुक्त होंगी ;

(ग) सुस्वाद, सख्त, साफ, साबुत होंगे तथा फफूंदी, जीवित कीट, पाद जाल, अप्रिय गन्ध, अपवर्ण से मुक्त होंगे तथा अनुसूची में निर्दिष्ट अपमिश्रण सीमा के अतिरिक्त हानिकारक पदार्थों और अन्य अपद्रव्यों के अपमिश्रण से मुक्त होंगे;

(घ) उचित विपणनीय स्थिति में होंगे।

3. चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 समय-समय पर संशोधित में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा—

(क) यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मि.ग्रा. प्रति कि.ग्राम से अधिक नहीं होगी।

(ख) एफ्लेटाविजन सहित माइक्रोटोविजन 30 माइक्रोग्राम प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची-VII

(नियम 3 और 4 देखिए)

मशीन द्वारा तैयार किए गए सेला चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता की परिभाषा

गुणवत्ता की परिभाषा

विशेष अपेक्षाएं

श्रेणी अभिधान	बाह्य पदार्थ		टूटे और खण्डित	क्षतिग्रस्त, अपवर्णित पेक्स और अपरिपक्व गिरियां	कोट ग्रसित गिरियां	लाल गिरियों सहित सम्मिश्रण	नमी	गिरि की लम्बाई (मि.मी.) (न्यूनतम)	लम्बाई चौड़ाई का (न्यूनतम)
	कार्बनिक	अकार्बनिक	सहनसीमा की अधिकतम मात्रा (भार के अनुसार प्रतिशत)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी-I	0.50	0.25	3.0	1.5	0.5	5.0	14.0	सामान्य अपेक्षाओं के कालम 11.1 में यथा विनिर्दिष्ट	सामान्य अपेक्षाओं के कालम 11.1 में यथा विनिर्दिष्ट
श्रेणी-II	0.50	0.25	5.0	2.0	1.0	10.0	14.0		
श्रेणी-III	1.00	0.50	6.0	3.0	1.5	15.0	14.0	—वही—	—वही—
श्रेणी-IV	1.00	0.50	8.0	4.0	2.0	20.0	14.0	—वही—	—वही—

साधारण अपेक्षाएं

11

1. चावल की साबुत गिरि की लम्बाई तथा लम्बाई और चौड़ाई के अनुपात के आधार पर निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :

क्रम सं.	वर्ग	लम्बाई	लम्बाई/चौड़ाई अनुपात
1	2	3	4
1.	लम्बा पतला चावल	6 मि.मी. और इससे अधिक	3.0 और अधिक
2.	छोटा पतला चावल	6 मि.मी. से कम	3.0 और अधिक
3.	लम्बा मध्यम चावल	6 मि.मी. और अधिक	2.5 से 3.0 से कम
4.	छोटा मध्यम चावल	6 मि.मी. से कम	2.5 से 3.0 से कम
5.	लम्बा साधारण चावल	6 मि.मी. और अधिक	2.0 से 2.5 से कम
6	छोटा साधारण चावल	6 मि.मी. से कम	2.0 से 2.5 से कम

2 चावल :—

(क) ओरइजा सटाइवा एल. की सूखी, परिपक्व गिरियां होंगी तथा परिमाण, आकार और रंग में समरूप होंगी; मुण्डक गिरियों का प्रतिशत 10 से अधिक नहीं होगा;

(ख) इन्हें कृत्रिम रूप से रंगा नहीं जाएगा तथा ये परिष्कृत कारक से मुक्त होंगे;

(ग) सुस्वाद, सक्षम, साफ साबुत होंगे तथा फफूंदी, जीवित कीट, पाद जाल, अप्रिय गंध, अपवर्ण से मुक्त होंगे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपमिश्रण सीमा के अतिरिक्त हानिकारक पदार्थों तथा अन्य अपद्रव्यों के अपमिश्रण से मुक्त होंगे;

(घ) उचित विपणनीय स्थिति में होंगे .—

3. चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 समय-समय पर संशोधित में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा

(क) यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मि.ग्राम./कि.ग्राम से अधिक नहीं होगी।

(ख) एफलाटाविजन सहित माइकोटाविजन 30 माइक्रोग्राम प्रति कि.ग्राम से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची—VIII

(नियम 3 और 4 देखिए)

मुण्डक चावल (पौना चावल) के श्रेणी अभियान और गुणवत्ता की परिभाषा

गुणवत्ता की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विशेष अपेक्षाएं								
	सह्य सीमा की अधिकतम मात्रा (भार के अनुसार प्रतिशत)								
	बाह्य पदार्थ		टूटे और खण्डित	क्षतिग्रस्त अपवर्णित, खड़ियामय, चंच्-प्रहारक और अपरिपक्व गिरियां	कीट ग्रसित गिरियां	लाल गिरी सहित सम्मिश्रण	नमी	लम्बाई (मि.मी.) (न्यूनतम)	चौड़ाई (मि.मी.) (न्यूनतम)
	कार्बनिक	अकार्बनिक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लम्बा पतला मुण्डक चावल	1.0	0.5	6.0	2.0	1.0	10.0	14.0	5.0	2.0
छोटा पतला	1.0	0.5	7.0	2.0	1.0	10.0	14.0	4.5	2.0
मध्यम मुण्डक चावल	1.0	0.5	8.0	2.0	1.0	10.0	14.0	4.5	2.5
साधारण मुण्डक चावल	1.0	0.5	10.0	2.0	1.0	10.0	14.0	4.5	2.5

साधारण अपेक्षाएं

11

1. मुण्डक (पौना) चावल.—

(क) ओरइजा सटाइवा एल. की सूखी परिपक्व गिरिया होगी, जिनकी लम्बाई साबुत गिरी का औसत लम्बाई की तीन चौथाई से अधिक या बराबर होगी;

(ख) रंग में समरूप होंगें तथा इन्हें कृत्रिम रूप से रंगा नहीं जाएगा।

(ग) सुस्वाद, सख्त, साफ होंगे और फफूंदी, जीवित कीटों, पाद जाल, अप्रिय गन्ध, अपवर्ण से मुक्त होंगें तथा अनुसूची में निर्दिष्ट अपमिश्रण सीमा के अतिरिक्त हानिकारक पदार्थों और अन्य अपद्रव्यों के अपमिश्रण से मुक्त होंगें;

(घ) उचित विपणनीय स्थिति में होंगे,

2. चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 समय-समय पर संशोधित, में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा

(क) यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मि. ग्राम प्रति कि. ग्रा. से अधिक नहीं होगी।

(ख) एफलाटाविजन सहित माइकोटाविजन 30 माइक्रोग्राम प्रति कि. ग्राम से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची—IX

(नियम 3 और 4 देखिये)

टूटे चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता की परिभाषा

गुणवत्ता की परिभाषा

विशेष अपेक्षाएं

श्रेणी अभिधान	सहृयसीमा की अधिकतम मात्रा (भार के अनुसार प्रतिशत)					
	बाह्य पदार्थ		क्षतिग्रस्त अपवर्णित, खड़ियामय चन्चु-प्रहारक, अपरिपक्व गिरियां	कीट ग्रसित गिरियां/टुकड़े	खण्डित	नमी
	अकार्बनिक	अकार्बनिक				
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी—I	0.5	0.5	2.0	1.0	10.0	14.0
श्रेणी—II	1.0	0.5	3.0	1.5	15.0	14.0
श्रेणी—III	1.5	0.5	4.0	2.0	20.0	14.0

साधारण अपेक्षाएं

8

1. टूटा चावल :—

(क) ओरइजा सटाइवा एल. की सूखी और परिपक्व गिरियों के टुकड़े होंगे जिनकी लम्बाई साबुत गिरी की औसत लम्बाई के एक चौथाई भाग से कम नहीं होगी;

(ख) रंग में समरूप होंगे तथा इन्हे कृत्रिम रूप से रंगा नही जाएगा।

(ग) सुस्वाद, सख्त, साफ होंगे तथा फफूंदी, जीवित कीटाणु, पादजाल, अप्रिय गन्ध, अपवर्ण से मुक्त होगे तथा अनुसूची में निर्दिष्ट अपमिश्रण सीमा के अतिरिक्त हानिकारक पदार्थों और अन्य अपद्रव्यों के अपमिश्रण से मुक्त होंगें।

(घ) उचित विपणीय स्थिति में होंगें ;

2 चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 समय-समय पर यथोधित में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा —

(क) यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मि. ग्राम प्रति कि. ग्राम से अधिक नहीं होगी।

(ख) एफमाटाविजन सहित माइक्रोटाविजन 30 माइक्रोग्राम प्रति कि. ग्राम से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची—10

(नियम 3 और 4 देखिये)

खण्डित (कनकी) चावल के श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता की परिभाषा

गुणवत्ता की परिभाषा

विशेष अपेक्षाएं

श्रेणी अभिधान	सह्य सीमा की अधिकतम मात्रा (भार के अनुसार प्रतिशत)				
	बाह्य पदार्थ		क्षतिग्रस्त, अपवर्णित, अपरिपक्व, खड़ियामय, चंचु प्रहारक टुकड़े	कीट ग्रसित टुकड़े	नमी
	कार्बनिक	अकार्बनिक			
1	2	3	4	5	6
श्रेणी—I	1.5	1.5	3.0	1.0	14.0
श्रेणी—II	2.0	1.5	3.0	2.0	14.0

साधारण अपेक्षाएं

7

1. चावल के खण्ड—

(क) ओरइजा सटाइवा एल. की सूखी और परिपक्व गिरियों के टुकडे होंगे जिनकी लम्बाई साबुत गिरी की औसत लम्बाई के एक चौथाई से कम होगी,

(ख) रंग में समरूप होंगे तथा इन्हें कृत्रिम रूप से रंगा नहीं जाएगा ;

(ग) सुस्वाद, सख्त, साफ होंगे तथा फफूंदी, जीवित कीटाणु, पादचाल, अप्रिय गन्ध, अपवर्ण से मुक्त होंगे तथा अनुसूची में निर्दिष्ट अपमिश्रण सीमा को छोड़कर हानिकार पदार्थों और अन्य अपद्रव्यों के अपमिश्रण से मुक्त होंगे ;

(घ) उचित विपणीय स्थिति में होंगें।

2. चावल, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 समय-2 पर संशोधित, में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा

(क) यूरिक अम्ल की मात्रा 100 मि. ग्राम प्रति कि. ग्रा. से अधिक नहीं होगी।

(ख) एफ्लाटाविजन सहित माइक्रोटाविजन 230 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से अधिक नही होगा।

[फा. सं. 18011/12/95—एम. II]

पी. एन. मिश्रा, आर्थिक सलाहकार (कृषि विपणन)

MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT
(Department of Rural Development)

New Delhi, the 7th January, 1998

G.S.R. 65.—In supersession of the Rice Grading and Marking Rules, 1939, the following draft of the Rice Grading and Marking Rules, 1996, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section-3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is hereby published as required by the said section, for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of forty-five days from the date on which the gazette containing this notification is made available to the public;

Any person desiring to make any suggestion or objection in respect of the said draft rules, may forward the same, within the specified period, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Central Government Offices Complex, New Building, Neighbourhood IV, Faridabad-121001 (Haryana) for consideration of the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and application.—(1) These rules may be called the Rice Grading and Marking Rules, 1996.

(2) They shall apply to Rice (Oryza sativa L.).

(3) They shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless, the context otherwise requires :—

(i) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(ii) "Authorised packer" means a person or body of persons who has (have) been granted a Certificate of Authorisation to grade and mark rice in accordance with the grade standards specified in these rules;

(iii) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark rice with the grade designation mark;

(iv) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(v) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(vi) "Rice" means whole or broken kernels of species Oryza sativa L. from which the husks (hulls) have been removed;

(vii) "Paddy Rice" means rice kernels retaining its husk after threshing;

(viii) "Raw Rice" means rice, the starch of which has not been gelatinised by artificial means;

(ix) "Hand pounded/husked/brown rice" means husked rice which has not been subjected to milling or polishing. The process of husking and handling may result in some loss of bran;

(x) "Milled Rice" means rice obtained after milling which includes removing all or part of the bran and germ from the kernel;

(xi) "Parboiled Rice" means rice, the starch of which has been fully gelatinised by soaking paddy or husked rice in water followed by heat treatment and a drying process;

(xii) "Whole kernel" means rice kernel without any broken part;

(xiii) "Head kernel" means rice kernel of length greater than or equal to three-quarters of the average length of the corresponding whole kernel;

(xiv) "Broken kernel" means rice kernels less than three quarters and upto one-quarter of the average length of the corresponding whole kernel;

(xv) "Fragments" means prices of rice kernels loss than one quarter of the average length of the whole kernel;

(xvi) "Damaged and discoloured kernel" means rice kernel, whole or broken, showing obvious deterioration due to moisture, pest, disease or other causes, but excluding neat damaged kernels;

(xvii) "Chalky kernel" means rice kernel whole or broken, except for glutinous rice, of which at least three-quarters of the surface has an opaque and floury appearance;

(xviii) "pecks" mean rice kernels, whole or broken, of parboiled rice of which more than one-quarter of the surface is dark brown of black in colour;

(xix) "Red kernel" means rice kernel whole or broken, with a red-coloured pericarp covering more than one-quarter of their surface, but excluding heat-damaged kernels;

(xx) "Green and immature kernels" mean rice kernels, whole or broken, which are unripe and/or under developed;

(xxi) "Weevilled kernels" mean rice kernels which are partially of wholly bored or eaten by weevils or other grain insects;

(xxii) "Foreign matter" means organic and inorganic components other than kernels of rice, whole or broken;

(a) "Organic foreign matter" means paddy, foreign edible seeds, husks, bran, fragments of straw etc.;

(b) "Inorganic foreign matter" means stones, sand, dust etc.;

(xxiii) "Admixture" means rice not conforming to the variety and/or length and length breadth ratio.

3 Grade designations.—The Grade designations to indicate the quality of rice are set out in column (1) of Schedules II to X.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the respective grade designation is as set out in columns 2 to 11 of Schedules II to VIII columns 2 to 8 of Schedule IX, and columns 2 to 7 of Schedule X.

5. Grade designation mark.—(i) The grade designation mark shall consist of Agmark label as specified in Part I of Schedule I and shall specify the name of the commodity grade designation and a design consisting of an outline map of India with the word "AG/4 ARK" and a figure of rising sun resembling the design as set out in Part I of Schedule I, or

(ii) Agmark replica instead of Agmark label as specified in part II of Schedule-I consisting of a design incorporating the word "AGMARK" serial number of the certificate of authorisation name of the commodity and grade designation, provided permission to use Agmark replica has been obtained, from the Agricultural Marketing Adviser or from an officer authorised by him in this respect.

6. Method of packing.—(i) Graded rice shall be packed in new, clean sound any dry jute bags, cloth bags, polywoven bags, polythene, polypropylene or cellophane or in paper packs and in other food grade plastic/packaging materials;

(ii) The packages shall be free from insect infestation, fungus contamination, deleterious substances and undesirable or obnoxious smell;

(iii) Each package shall be securely closed and suitably sealed in the manner specified by the Agricultural Marketing Adviser;

(iv) Each package shall contain rice of the grade designation only;

(v) Rice shall be packed in quantities as specified under the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976.

(vi) Suitable number of consumer packs containing graded material of the same grade designation and from the same lot may be packed in master containers.

7. Method of Marking.—(i) The grade designation mark shall be securely affixed or clearly and indelibly printed on each package;

(ii) In addition to the grade designation, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on the lable or on the packages :—

(a) Name and address of the packer,

(b) Place of packing,

(c) Date of packing, in month and year,

(d) Lot/batch number,

(e) Net weight,

(f) Price.

(iii) The ink used for marking shall not contaminate or deteriorate the quality of the produce;

(iv) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this regard, mark and/or affix his private trade mark on the packages.

Provided that the private trade mark does not represent quality or grade of the commodity different from that indicated by the grade designation mark affixed to the packages in accordance with these rules.

(8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules. tion.—In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be the additional conditions for grant of certificate of authorisation for grading and marking rice under these rules, namely :—

(i) The authorised packer shall make such arrangements for testing of rice as may be prescribed by the Agricultural Marketing Adviser;

(ii) The premises for processing, packing and storage shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions;

(iii) The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any contagious disease.

9. Repeal and savings.—The Rice Grading and Marking Rules 1939 are hereby repealed without prejudice to the previous operation of the said rules or any thing duly done or suffered thereunder.

PART I

SCHEDULE I

[See Rule 5 (i)]

Grade designation mark

(DESIGN ON AGMARK LABEL)

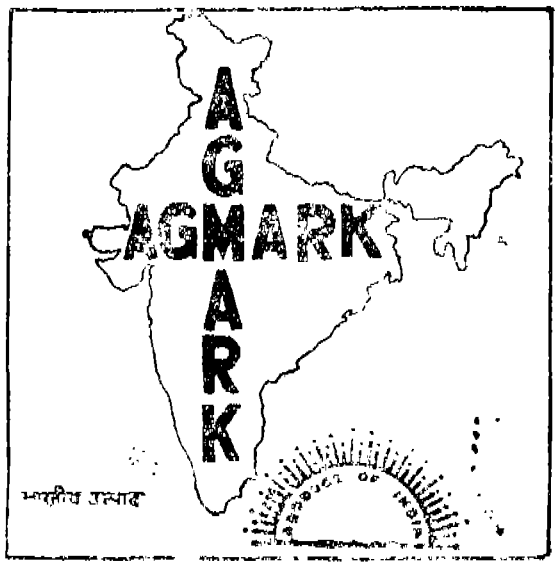

PART II

SCHEDULE I

[See Rule 5, (i)]

Grade designation mark

(DESIGN OF AGMARK REPLICA)

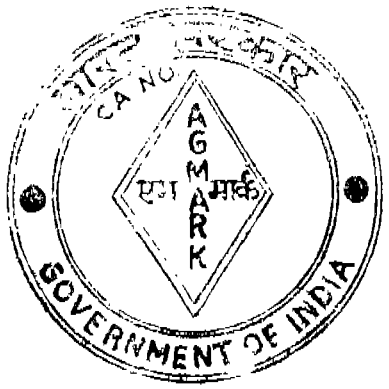

NAME OF COMMODITY.....

GRADE.....

SCHEDULE - I

(See Rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of Hand Pounded/Husked/Brown Basmati Rice.

Grade designations	Definition of quality								
	Special requirements								
	Maximum limits of Tolerance (percent by weight)								
	Foreign matter Organic	Foreign matter Inorganic	Brokens and fragments	Damaged, discoloured, chalky and immature kernels	Weevilled Kernels	Admixture including red Kernels	Moisture	Length of kernel (millimemtre) (minimum)	Length Breadth ratio (minimum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grade-I	0.25	0.25	6.0	1.0	0.5	5.0	14.0	6.0	3.0
Grade-II	0.50	0.25	8.0	2.0	0.5	8.0	14.0	6.0	3.0
Grade-III	1.00	0.50	10.0	3.0	1.0	10.0	14.0	6.0	3.0

General requirements

11

1. The rice kernels shall be long slender, white, creamy white or greyish in colour and translucent ;

2. The rice—

(a) shall be the dried, mature kernels of Oryza Sativa L. and shall have uniform size, shape and colour. The percentage of head kernels shall not exceed 10 per cent;

(b) shall possess in a marked degree, the natural fragrance characteristics of Basmati Rice both in raw and cooked stage;

(c) shall not be artificially coloured and shall be free from polishing agents;

(d) shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds, live insects, webs, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule;

(e) may contain upto 3 percent of kernels with appreciable amount of bran thereon;

(f) shall be in sound merchantable condition;

3. Rice shall conform to the requirements laid down under prevention of food Adulteration Rules and shall not contain—

(a) Uric Acid more than 100 mg, per Kg;

(b) Mycotoxin including aflatoxin more than 30 microgram per kg.

SCHEDULE-III

(See Rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of Raw Milled Basmati Rice.

Grade designations	Definition of quality								
	Special requirements								
	Maximum limits of Tolerance (percent by weight)								
	Foreign matter Organic	Foreign matter inorganic	Brokens and fragments	Damaged, discoloured chalky and immature kernels	Weevilled kernels	Admixture including red kernels	Moisture	Length of kernels (millimetres) (Minimum)	Length Breadth Ratio (Minimum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grade-I	0.25	0.25	5.0	1.0	0.50	5.0	14.0	6.0	3.00
Grade-II	0.50	0.25	7.0	2.0	0.50	8.0	14.0	6.0	3.00
Grade-III	1.00	0.50	9 0	3.0	1.0	10.0	14.0	6.0	3.00

General requirements

11

1. The kernels shall be long slender of white or creamy white or greyish in colour and translucent;

2. The rice.

(a) shall be the dried mature kernels of Oryza Sativa L. and shall have uniform size, shape and colour. The percentage of head kernels shall not exceed 10 percent.

(b) shall possess in a marked degree, the natural fragrance characteristics of Basmati Rice both in raw and cooked stage;

(c) shall not have been artificially coloured and shall be free from polishing agents;

(d) shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds, live insects, webs, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule;

(e) may contain upto 3 percent of kernels with appreciable amount of bran thereon;

(f) shall be in sound merchantable condition;

3. Rice shall conform to the requirements laid down under Prevention of Food Adulteration Rules and shall not contain—

(a) Uric Acid more than 100 mg per kg;

(b) Mycotoxin including aflatoxin more than 30 microgram per kg.

SCHEDULE-IV

(See Rules 3 and 4)

Grade designation and definitions of quality of parboiled Milled Basmati Rice

Grade Designations	Definition of quality								
	Special requirements								
	Maximum limits of Tolerance (percent by weight)								
	Foreign matter Organic	Foreign matter Inorganic	Brokens and fragments	Damaged discoloured, pecks and immature kernels	Weevilled kernels	Admixture including Red kernles	Moisture	Length of Kernels (millimetre) (minimum)	Length/ Breadth ratio (minimum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grade-I	0.25	0.25	4.0	1.0	0.5	5.0	14.0	6.0	3.0
Grade-II	0.50	0.25	6.0	2.0	0.5	8.0	14.0	6.0	3.0
Grade-III	1.00	0.50	8.0	3.0	1.0	10.0	14.0	6.0	3.0

General requirements

11

1. The rice kernels shall be long slender of creamy white, brownish or greyish in colour and translucent;

2. The rice :—

(a) shall be the dried mature kernels of Oryza Sativa L. and shall have uniform size, shape and colour. The percentage of head kernels shall not exceed 10 per cent.

(b) shall possess in a marked degree, the natural fragrance characteristics of Basmati Rice both in raw and cooked stage;

(c) shall not have been artificially coloured and shall be free from polishing agent;

(d) shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds live insects, webs, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule;

(e) may contain upto 3 per cent of kernels with appreciable amount of bran thereon;

(f) shall be in sound merchantable condition;

3. Rice shall conform to the requirements laid down under Prevention of Food Adulteration Rules and shall not contain :—

(a) Uric Acid more than 100 mg. per kg.

(b) Mycotixin including aflatixin more than 30 microgram per kg.

SCHEDULE-V

(See Rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Raw hand Pounded/husked/Brown rice

Grade designations	Definition of quality								
	Special requirements								
	Maximum limits of Tolerance (per cent by weight)								
	Foreign matter		Brokens and Fragments	Damaged discoloured chalky and immature kernels	Weevilled kernels	Admixture including red kernels	Moisture	Length of Kernels (milimetre) (minimum)	Length/ Breadth ratio (minimum)
	Organic	Inorganic							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grade-I	0.5	0.5	5.0	2.0	0.5	5.0	14.0	As specified under General requirements Col. 11.1	As specified under requirements Col. 11.1
Grade-II	1.0	0.5	9.0	3.0	1.0	10.0	14.0		
Grade-III	1.5	0.5	12.0	4.0	2.0	15.0	14.0		
Grade-IV	1.5	0.5	15.0	4.0	3.0	20.0	14.0		

11. General requirements

1. Rice shall be classified based on length and length breadth (L/B) ratio of whole kernels as under:—

Sl. No.	Class	Length (mm)	Lentgth Breadh (L/B) ratio
1	2	3	4
1.	Long slender rice	6 mm and above	3.0 and above
2.	Short slender rice	less than 6 mm	3.0 and above
3.	Long medium rice	6 mm and above	2.5 to less than 3.0
4.	Short medium rice	less than 6 mm	2.5 to less than 3.0
5.	Long common rice	6 mm and above	2.0 to less than 2.5
6.	Short common rice	less than 6 mm	2.0 to less than 2.5

2. The rice :—

(a) shall be the dried mature kernels of Oryza Sativa L. and shall have uniform size, shape and colour. The percentage of head kernels shall not exceed 10 per cent.

(b) shall not be artificially coloured and shall be free from polishing agents;

(c) shall be sweet, hard, clean, wholsome and free from moulds, live insects, webs, obnoxious smell, discolouration admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule.

(d) shall be in sound and merchantable condition.

3. Rice shall conform to the requirements laid down under Prevention of Food Adulteration Rules and shall not contain—

(a) Uric Acid—more than 100 mg. per kg.

(b) Mycotoxin—including aflatoxin more than 30 microgram per Kg.

SCHEDULE -VI

(See Rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Raw Milled Rice

Grade designations	Definition of quality								
	Special requirements								
	Maximum limits of Tolerance (percent by weight)								
	Foreign matter		Brokens and Fragments	Damaged, discoloured chalky and immature	Weevilled Kernels	Admixture including red kernels	Moisture	Length of kernels (Millimetre) (minimum)	Length/ breadth ratio (minimum)
	Organic	Inorganic							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grade-I	0.5	0.5	4.0	1.5	0.5	5.0	14.0	As specified under General requirements Col. 11,1	As specified under General requirements Col. 11.1
Grade-II	1.0	0.5	6.0	2.0	1.0	10.0	14.0	-do-	-do-
Grade-III	1.5	0.5	8.0	3.0	2.0	15.0	14.0	-do-	-do-
Grade-IV	1.5	0.5	10.0	4.0	3.0	20.0	14.0	-do-	-do-

General requirements

11

1. Rice shall be classified based on length and length breadth (L/B) ratio of whole kernels as under :—

S.No.	Class	Length (mm)	Length Breath (L/B) ratio
1	2	3	4
1.	Long slender rice	6 mm and above	3.0
2.	Short slender rice	less than 6 mm	3.0 and above
3.	Long medium rice	6 mm and above	2.5 to less than 3.0
4.	Short medium rice	less than 6 mm	2.5 to less than 3.0
5.	Long common rice	6 mm and above	2.0 to less than 2.5
6.	Short common rice	less than 6 mm	2.0 to less than 2.5

2. The rice :—

(a) shall be the dried mature, kernels of Oryza Sativa L. and shall have uniform size, shape and colour. The percentage of head kernels shall not exceed 10 percent.

(b) shall not be artificially coloured and shall be free from polishing agents;

(c) shall be sweet hard, clean, wholesome and free from moulds, live insects webs, obnoxious smell, discolouration admixure of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule;

(d) shall be in sound and merchantable condition;

3. Rice shall conform to the requirements laid down under Prevention of Food Adulteration Rules and shall not contain -

(a) Uric acid more than 100 mg. per kg,

(b) Mycotoxin including aflatoxin more than 30 microgram per kg.

SCHEDULE -VII

(See Rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of parboiled milled rice.

Grade designations	Definition of quality								
	Special requirements								
	Maximum limits of tolerance (percent by weight)								
	Foreign matter		Brokens and fragments	Damaged discoloured pecks and immature kernels	Weevilled kernels	Admixture including red kernels	Moisture	Length of kernels (millimetre) (minimum)	Length/ Breadth/ ratio (minimum)
	Organic	Inorganic							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grade-I	0.50	0.25	3.0	1.5	0.5	5.0	14.0	As specified under General requirements Col. 11.1	As specified under General requirements Col. 11.1
Grade-II	0.50	0.25	5.0	2.0	1.0	10.0	14.0	-do-	-do-
Grade-III	1.00	0.50	6.0	3.0	1.5	15.0	14.0	-do-	-do-
Grade-IV	1.00	0.50	8.0	4.0	2.0	20.0	14.0	-do-	-do-

General requirements

11

1. Rice shall be classified based on length and length breadth (L/B) ratio of whole kernels as under :—

S.No.	Class	Length (mm)	Length Breath (L/B) ratio
1	2	3	4
1.	Long slender rice	6 mm and above	3.0 and above
2.	Short slender rice	less than 6 mm	3.0 and above
3.	Long medium rice	6 mm and above	2.5 to less than 3.0
4.	Short medium rice	less than 6 mm	2,5 to less than 3.0
5.	Long common rice	6 mm and above	2.0 to less than 2.5
6.	Short common rice	less than 6 mm	2.0 to less than 2.5

2. The rice :—

(a) shall be the dried mature kernels of Oryza Sativa L. and shall have uniform size, shape and colour. The percentage of head kernels shall not exceed 10 percent.

(b) shall not be artificially coloured and shall be free from polishing agents;

(c) shall be sweet hard, clean, wholesome and free from moulds, live insects, webs, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule;

(d) shall be in sound and merchantable condition ;

3. Rice shall conform to the requirements laid down under Prevention of Food Aduteration Rules and shall not contain :—

(a) Uric Acid more than 100 mg. per kg.

(b) Mycotoxin including aflatoxin more than 30 microgram per kg.

SCHEDULE-VIII

(See Rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Head rice (pauna rice)

Grade designations	Definition of quality								
	Special requirements								
	Maximum limits of tolerance (per cent by weight)								
	Foreign matter		Brokens and Fragments	Damaged discoloured chalky/pecks and immature kernels	Weevilled kernels	Admixture including red kernels	Moisture	Length of Head kernels (Millimetre) (minimum)	Breadth of Head kernels (Millimetre) (Maximum)
	Organic	Inorganic							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Long Slender Head Rice	1.0	0.5	6.0	2.0	1.0	10.0	14.0	5.0	2.0
Short slender	1.0	0.5	7.0	2.0	1.0	10.0	14.0	4.5	2.0
Medium Head rice	1.0	0.5	8.0	2.0	1.0	10.0	14.0	4.5	2.25
Common Head Rice	1.0	0.5	10.0	2.0	1.0	10.0	14.0	4.5	2.5

General requirements

11

1. Head (Pauna) rice shall:—
   (a) be the dried mature kernels of Oryza Sativa L. of length greater than or equal to three-quarters of the average length of the whole kernel;
   (b) be uniform in colour and shall not be artificially coloured;
   (c) be sweet, hard, clean and free from moulds, live insects, webs, obnoxious smell, discolouration admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule;
   (d) be in sound and merchantable condition;
2. Rice shall conform to the requirements laid down under Prevention of Food Adulteration Rules and shall not contain:—
   (a) Uric acid more than 100mg. per kg.
   (b) Mycotoxin including aflatoxin more than 30 microgram per kg.

SCHEDULE-IX

(See Rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Broken Rice

Grade designations	Definition of quality					
	Special requirements					
	Maximum limits of tolerance (percent by weight)					
	Foreign matter		Damaged, discoloured, chalky/pecks, immature kernels,	Weavilled kernels/ pieces	Fragments	Moisture
	Organic	Inorganic				
1	2	3	4	5	6	7
Grade-I	0.5	0.5	2.0	1.0	10.0	14.0
Grade-II	1.0	0.5	3.0	1.5	15.0	14.0
Grade-III	1.5	0.5	4.0	2.0	20.0	14.0

General requirements

8

1. Broken rice shall:—
   (a) be the dried, mature kernel pieces of Oryza Sativa L. of length not less than one-quarter of the average length of the whole kernel;
   (b) be Uniform in colour and shall not be artificially coloured;
   (c) be sweet, hard, clean and free from moulds, live insects, webs, obnoxious smell discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule;
   (d) shali be in sound merchantable condition;
2. Rice shall conform to the requirements laid down under Prevention of Food Adulteration Rules and shall not contains:—
   (a) Uric Acid more than 100mg. per kg.
   (b) Mycotoxin including aflaxtoxin more than 30 microgram per kg.

SCHEDULE-X

(See Rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Fragment (Kanki) rice

Grade Designations	Definition of quality — Special requirements — Maximum limits of tolerance (per cent by weight)				
	Foreign matter		Damaged, discoloured immature, chalky/pecks, pieces	Weevilled pieces	Moisture
	Organic	Inorganic			
1	2	3	4	5	6
Grade-I	1.5	0.5	3.0	1.0	14.0
Grade-II	2.0	1.0	3.0	2.0	14.0

General requirements

7

1. Rice fragments shall:—
   (a) be the dried, mature kernel pieces of Oryza Sativa L. of less than one-quarter of the average length of the whole kernel;
   (b) be uniform in colour and shall not be artificially coloured;
   (c) be sweet, hard, clean and free from moulds, live insects, webs, obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the Schedule :
   (d) be in sound and merchantable condition;
2. Rice shall conform to the requirements laid down under Provention of Food Adultration Rules, and shall not contain:—
   (a) Uric Acid mo!e than 100mg. per kg;
   (b) Mycotoxin including aflatoxin more than 30 microgram per kg.

[F.No. 18011/12/95-M.II]

V.N. MISRA, Economic Adviser (Agricultural Marketing)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1998